<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>13.01.2026</u>

<u>ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले में 21.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 10.01.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी कर लगभग 21.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई **महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी)** के अवैध सट्टेबाजी संचालन की चल रही जांच का हिस्सा है। कुर्क की गई संपत्तियों में 98.55 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियां और भारत और दुबई में स्थित आवासीय मकान, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि और लग्जरी अपार्टमेंट सहित 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 20.46 करोड़ रुपये है।

उक्त आदेश के तहत, निम्नलिखित व्यक्तियों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं:

• **रवि उप्पल:** मुख्य प्रमोटर के रूप में पहचाना गया, जो फरार है। आदेश में दुबई स्थित एक विदेशी संपत्ति (अट्रिया रा) को कुर्क किया गया है, जिसका मूल्य लगभग 6.75 करोड़ रुपये है।

• **रजत कुमार सिंह:** सौरभ चंद्रकार का करीबी सहयोगी, जिसने कई पैनल संचालित किए और अपराध से प्राप्त 15-20 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। कुर्क की गई संपत्तियों में भिलाई और दुबई स्थित संपत्तियां शामिल हैं।
• **सौरभ आहूजा और विशाल रमानी:** ये साझेदार लगभग 100 पैनल संचालित करते थे और इनसे लगभग 30 करोड़ रुपये का पीओसी (प्रॉब्लम-ऑन-कॉन्ट्रैक्ट) प्राप्त हुआ। दुर्ग और भिलाई स्थित संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं।
• **विनय कुमार और हनी सिंह:** ये छह पैनल संचालित करते थे और सट्टेबाजी ऐप के फर्जी प्रचार में शामिल थे। इनसे अनुमानित 7 करोड़ रुपये (प्रत्येक से 3.5 करोड़ रुपये) का पीओसी प्राप्त हुआ। जब्त की गई संपत्तियों में जयपुर और नई दिल्ली स्थित आवासीय संपत्तियां, साथ ही महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर सहित वाहनों का बेड़ा शामिल है।
• **लकी गोयल:** वह टेलीग्राम आधारित प्रचार गतिविधियों में शामिल थे और उन्होंने लगभग 2.55 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की। उक्त आदेश के तहत, राजस्थान में उनकी कई दुकानें और भूखंड जब्त किए गए।
• **राजा गुप्ता:** दुबई स्थित एक ऑपरेटर जो कम से कम 10 पैनलों का प्रबंधन करते हैं। रायपुर में आपराधिक आय से अर्जित एक अचल संपत्ति को भी कुर्क किया गया।

छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच में एक बड़े सट्टेबाजी गिरोह का खुलासा हुआ। यह प्लेटफॉर्म टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेजर247 जैसे नामों वाले डोमेन के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी सेवाएं प्रदान करता था। यह गिरोह सहयोगियों द्वारा संचालित "पैनल/शाखाओं" के फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से काम करता था, जबकि मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल दुबई से अपना संचालन करते थे।
जांच से पता चला कि इन पैनलों द्वारा अर्जित कुल मुनाफे का 70-75% हिस्सा प्रमोटरों ने अपने पास रखा, जबकि शेष पैनल संचालकों ने भोले-भाले व्यक्तियों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए हजारों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से संभावित ग्राहकों (पीओसी) को निशाना बनाया गया था।

इस मामले में ईडी ने अब तक 175 से अधिक परिसरों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 2,621 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या अटैच किया गया है।

इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दर्ज की गई पांच अभियोजन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
